

7/9/2024

श्री गणेशाय नमः

10/7/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपरिथत। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है / भ्रमण पर है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 5-8-24 को पेश होगी।

5/8/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपरिथत। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है / भ्रमण पर है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 2-9-24 को पेश होगी।

2/9/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपरिथत। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है / भ्रमण पर है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 2-10-24 को पेश होगी।

7/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपरिथत। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है / भ्रमण पर है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 2-12-24 को पेश होगी।

16/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपरिथत। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है / भ्रमण पर है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 2-12-24 को पेश होगी।

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपरिथत। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है / भ्रमण पर है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 2-12-24 को पेश होगी।

Handwritten signature

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्दादाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नेछवा
पीठासीन अधिकारी :- श्री राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)

भगवानाराम पुत्र रुडा राम जाति जाट निवासी भाखरों की ढाणी तहसील नेछवा
जिला-सीकर राज0

- वादी

बनाम

1. टंवरी कंवर पुत्री उम्मेदसिंह
2. मदन कंवर पत्नि उम्मेदसिंह
3. मालसिंह शेखावत पुत्र उम्मेदसिंह
4. मोहनसिंह शेखावत पुत्र उम्मेदसिंह
5. लक्ष्मी कंवर पुत्री उम्मेदसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कुमास जागीर तहसील नेछवा जिला-सीकर राज0
6. सुमन पत्नि राकेश कुमार जाति जाट निवासी ग्राम दीवानजी का बास तहसील लक्ष्मणगढ़
जिला सीकर राज0
7. पटवारी, पटवार हल्का कुमास जागीर जागीर तहसील नेछवा जिला सीकर राज0
8. तहसीलदार नेछवा जिला सीकर राज0

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा अंधारा 53, 188 राज.का.अधिनियम
मु0न0 79 / 2024

उपस्थिति - श्री किशोर सियाक (वादी)

दिनांक : 16.10.2024

तहसीलदार नेछवा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव क्रमांक: भू0अ0/2024/1901 दिनांक
26.09.2024 के अनुसार वकील वादी की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती है। तहसीलदार नेछवा को
निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विभाजन के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया
जावे। विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का भाग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(राजवीर सिंह यादव)
नेछवा (सीकर)

मुहर

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
मीजान		मीजान	

यह डिक्री मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 16.10.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
(राजवीर सिंह यादव)
नेछवा (सीकर)